

अति आवश्यक/
हॉट कोस्ट / ई-मेक

79
प्रेषक,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हाथरस।

सेवा में,
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी, हाथरस।

पत्रांक: 19 / XV-सिविल, हाथरस: दिनांक: अक्टूबर 08, 2020

विषय: जनपद न्यायालय, हाथरस के परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति की सूचना एन0आई0सी, हाथरस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0 7268/Admin 'G-I'/ 2020 Allahabad dated 02.09.2020 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 102/सात-न्याय-2- 2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय हाथरस में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में उ0प्र0 कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के अधीन आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये थे परन्तु आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुये जिस कारण आवेदन की तिथि बढ़ाया जाना आवश्यक है। उक्त सूचना, एन0आई0सी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु अपलोड करायी जानी आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति को एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें, जिससे विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

(अखिलेश द्विवेदी)
08/10/2020
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
हाथरस।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाथरस।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0 7268/Admin 'G-I'/ 2020 Allahabad dated 02.09.2020 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 102/सात-न्याय-2- 2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय हाथरस में परामर्शदाता की आवद्धता के सम्बन्ध में उ0प्र0 कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के अधीन आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये थे परन्तु आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुये जिस कारण आवेदन की तिथि बढ़ाया जाना आवश्यक है। अतः पुनः निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- (1) अर्ह व्यक्तियों से आवेदनपत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
- (2) यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
- (3) शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हैं और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- (4) विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (5) आवेदनपत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
- (6) राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- (7) परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
- (8) परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- (9) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से सविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
- (10) उक्त प्रक्रिया के अर्न्तगत परामर्शदाता के आवद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 27.10.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

(अभिनेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय हाथरस।

(आशीष जैन)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

प्रतिलिपि:-

1. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु।